bdkb 2 ykdr=

bdkb dh :ij[kk

2.1 प्रस्तावना : लोकतांत्रिक आदर्श के स्रोत

2.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.3 लोकतंत्र का संकल्पनात्मक परिवार : स्वायत्तता, अधिकार, समानता और स्वतंत्रता

2.4 लोकतंत्र हेतु औचित्य : अन्तर्भूत (Intrinsic) और साधनभूत (Instrumentalist)

2.5 लोकतंत्र : प्रक्रियात्मक (Procedural) और सत्तावाचक (Substantive)

2.6 लोकतंत्र के प्रकार : प्रतिनिधिक लोकतंत्र और उसकी आलोचनाएँ, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, मंत्रणात्मक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और सार्वभौम लोकतंत्र

2.7 सारांश

2.8 अभ्यास

2-1 iLrkouk % ykdrkf=d vkn'k d lkr

सन् 1992 में, लोकतंत्र के 2500 वर्ष पूरे विश्व में बड़े उत्साहपूर्वक मनाए गए। यह एक चलन से भिन्न उत्सव था क्योंकि, यद्यपि राजनेताओं, क्रांतियों व राष्ट्र–स्थापना की वर्षगाँठें नितान्त सामान्य रूप से मनाई जाती हैं, कोई भी राजनीतिक आदर्श कभी भी इस भाँति उत्सव के रूप में नहीं मनाया गया है। साथ ही, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र उस लोकतंत्र से नितान्त भिन्न है, जो प्राचीन यूनान में 2500 वर्ष पूर्व व्यवहार में था। वे लोकतांत्रिक आदर्श व प्रथाएँ जिनसे हमारा यहाँ सरोकार है, आधुनिक विश्व से संबंध रखते हैं, परन्तु प्राचीन काल में एथेन्स यूनान में व्यापक रूप से लोकतंत्र के सर्वाधिक दृढ़, स्थिर और आदर्श रूप माने जाने वाले शहर–राज्य में, लोकतंत्र के मुख्य अभिलक्षणों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना उपयोगी रहेगा।

लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) शब्द स्वयं ग्रीक मूल का है। ग्रीक शब्द *डिमोक्रेशिया* (Demokratia) दो शब्दों *डेमोज़* (जिसका अर्थ है प्रजा) और *क्रैटोज़* (जिसका अर्थ है शासन) से मिलकर बना है। यह शब्दार्थ लोकतंत्र को यह अर्थ प्रदान करता है, सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें प्रजा शासन करती है, या तो सीधे वैयक्तिक भागीदारी के माध्यम से, अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्राचीन एवं आधुनिक लोकतंत्रों के बीच मुख्य अंतर, वस्तुतः, उस ढंग में है जिसमें 'प्रजा' को परिभाषित किया गया। प्राचीन यूनानी राज्य–व्यवस्था में, 'प्रजा' को प्रत्युत नियामक रूप से परिभाषित किया गया था, और विशेषकर मनुष्यों की तीन मुख्य श्रेणियाँ वर्जित थीं : दास, स्त्रियाँ, और मैटिक्स (वे विदेशी जो शहर–राज्य में रहते और काम करते थे)। इसका अर्थ था कि कुल जनसंख्या के मात्र एक–चौथाई नागरिक ही निकाय के सदस्य थे। तिस पर भी, एक 40,000–सम्पन्न नागरिक निकाय कोई निकृष्ट उपलब्धि नहीं थी।

एथेनियन लोकतंत्र की वास्तविक जीवन–यात्रा पूरी तरह से गड़बड़ थी, क्योंकि अभिजातों, सेनानायकों तथा जनसत्तावादी नेताओं द्वारा समय–समय पर सत्ता हथियाने के प्रयास होते रहते थे। ग़रीब 'जनसाधारण' अथवा 'कुली–कबाड़ी' के रूप में वर्णित के लिए उनकी घृणा आधुनिक विश्व में

प्रतिध्वनित होती है, जहाँ लोकतंत्र संघर्ष के माध्यम से, और काफ़ी विषमताओं का सामना करके लाया गया। वास्तव में, सर्वत्र और आद्योपान्त इतिहास में लोकतंत्र हेतु संघर्ष एक ही समय में जन्म व धन–दौलत की असमानताओं पर आधारित, व उनके द्वारा तर्कसंगत सिद्ध राजनीतिक असमानता के विरुद्ध एक संघर्ष रहा है।

अच्छी से अच्छी दशा में, तथापि, एथेनियन लोकतंत्र विधिनिर्माताओं की उस सभा में नागरिकों द्वारा सीधे भागीदारी की एक प्रभावशाली तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो सभी नीतिगत मसलों पर विचार–विमर्श करती थी और निर्णय लेती थी, और वर्ष में करीब–करीब 300 दिन बैठती थी। नागरिक भी सरकार में सीधे भाग लेते थे, क्योंकि उन्हें निर्दिष्ट कार्य द्वारा कार्यालयी, प्रशासनिक एवं न्यायिक पदों में सेवार्थ चुना जाता था।

2-2 ,frgkfld i"BHkfe

लोकतंत्र का ''आधुनिकता की विशेषतासूचक संस्थाओं'' में से एक के रूप में वर्णन किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि यह वैचारिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की जटिल व अन्तर्गुथित प्रक्रियाओं का परिणाम था। ब्रिटेन में, इस परिवर्तन का संकेत औद्योगिक क्रांति से मिला जो अठारहवीं शती के मध्य में आरम्भ हुई, जबकि फ्रांस व अमेरिका में यह क्रांति इसी शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में राजनीतिक क्रांतियों द्वारा शुरू की गई।

ब्रिटेन को सर्वप्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है क्योंकि, सत्रहवीं शती में गृहयुद्ध के ताज़ा हालातों में, शाही निरंकुशता समाप्त कर दी गई, और शक्तियाँ क्राउन के हाथों से निकलकर अब पार्लियामेण्ट के दो सदनों के पास आ गईं, जिनमें से एक, हाउस ऑफ कॉमन्स, एक निर्वाचित सभा–गृह था।

यद्यपि राज्य–प्रदत्त विशेष अधिकार अत्यंत सीमाबद्ध रहे सम्पत्ति के स्वामित्व पर आधारित कार्यकारिणी का नियंत्रण प्रभावी रूप से आभिजात्य वर्ग तथा बुर्जुआ वर्ग के एक निर्बन्ध गठजोड़ के पास पहुँच गया था, मानो होड़ करते विशिष्ट वर्गों के बीच राजनीतिक संघर्ष, यहाँ से आगे, शांतिपूर्वक संचालित किया गया था, उन्नीसवीं शती में जाकर ही मताधिकार का विस्तार हुआ, जो शुरू हुआ 1932 के रिफॉर्म एक्ट में उच्च मध्यवर्गों के मताधिकार–दान से। इसके उपरांत कामगार वर्गों को मताधिकार दिए जाने का क्रमवार विस्तार हुआ, मोटे तौर पर यह कामगार वर्गों द्वारा किए जा रहे राजनीतिक संघर्षों व चार्टिज़्म जैसे उग्र आन्दोलनों के दबाव के जवाब के तौर पर था। उन्नीसवीं शती के अंतिम चतुर्थांश, और तदोपरांत तीन सुधार अधिनियमों से गुज़रकर, लगभग दो–तिहाई पुरुष अधिवासी–समुदाय मताधिकार–दान का प्रत्याशी हुआ। बहरहाल, जब तक 1929 में कदम नहीं रख लिया महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित नहीं था, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार पूरी तरह 1948 में ही मिला, जब एकाधिक मतदान को एक–व्यक्ति एक–वोट के सिद्धांत समर्थन में समाप्त कर दिया गया।

फ्रांस में, 1789 की क्रांति से लोकतंत्र की अधिक उग्र परम्परा का सूत्रपात हुआ, स्वतंत्रता–समानता–बंधुत्व के उसके भावोत्तेजक आह्वान, तथा जनप्रिय स्वायत्तता के सिद्धांत पर उसके द्वारा ज़ोर दिए जाने के साथ 'द डेक्लेरेशन ऑफ द राट्स ऑफ मैन एण्ड सिटीज़न' ने न सिर्फ़ फ्रैंच नागरिकों की, वरन् समष्टि रूप में 'मानवता' की प्राकृतिक व अहरणीय हकदारी के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार व धर्म की आज़ादी, सम्पत्ति की सुरक्षा तथा राजनीतिक समानता के अधिकारों की उद्घोषणा

की। प्रारम्भतः, 1791 के क्रांतिकारी संविधान ने सार्वभौम पुरुष मताधिकार के सदृश कुछ स्थापित किया, और वोट देने के अधिकार हेतु सम्पत्ति की शर्त बस इतनी ही कम थी कि केवल घरेलू नौकर, गृहहीन व भिक्षुक ही वर्जित रहें। इस प्रकार, 1791 में चालीस लाख पुरुष नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार मिला, परन्तु चार वर्ष बाद, अधिक प्रतिबंधात्मक सम्पत्ति शर्तें लागू कर दी गईं, जिससे वोटरों की संख्या गिरकर मुश्किल से एक लाख समृद्ध करदाता ही रह गई। सार्वभौम पुरुष मताधिकार को 1848 की क्रांति के बाद ही पुनर्प्रचलित किया गया, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार को एक शती बाद यानी 1946 में, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, गृह–युद्ध पश्चात् ताज़ा हालातों में लोकतंत्र की प्रगति श्वेत पुरुषों तक ही सीमित थी, और महिलाओं को मताधिकार–दान, जैसा कि देशज व अश्वेत लोगों के साथ भी था, बीसवीं शती तक नहीं मिल पाया था। तिस पर भी, डेक्लेरेशन ऑफ इण्डिपेण्डेन्स (1776) ही वह दस्तावेज था जिसने एक ही समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका के विधिक निर्माण को सम्पन्न कर उस देश में लोकतंत्र को लागू किया। यद्यपि दासप्रथा उन्नीसवीं शती मध्य तक अपनायी जाती रही, अमेरिकी क्रांति ने ही आधुनिक विश्व को उसकी प्रथम लोकतांत्रिक सरकार और समाज प्रदान किए। वंशानुक्रमित सत्ता एकतंत्र और अभिजात–तंत्र सदृश को नष्ट–भ्रष्ट कर दिया गया, क्योंकि एक गणतंत्रीय सरकार, जिसमें सभी नागरिक कम–से–कम सिद्धान्ततः समान थे, उसके स्थान पर लायी गई थी। सरकार की तीन शाखाओं– कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका– के बीच शक्ति–विच्छेद की एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत क्रियाविधि भी लागू की गई, जिससे किसी एक भी शाखा के लिए यादृच्छिक अथवा अबाधित शक्ति का प्रयोग मुश्किल हो।

लैवलर्स, जॉन लॉक एवं टॉम पेन के राजनीतिक विचारों तथा 'फ्रेंच डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन (1789)' व 'अमेरिकन डेक्लेरेशन ऑफ इण्डिपेण्डेन्स (1776)' ने उन महत्त्वपूर्ण विचारों व सिद्धांतों को अभिव्यक्त किया, जिन्होंने आधुनिक विश्व में लोकतंत्र को मज़बूत किया। इन लेखों व दस्तावेज़ों को प्रायः उदारवाद के घोषणापत्रों के रूप में भी देखा जाता है, और इस समय उदारवाद वस्तुतः लोकतंत्र की एक प्रयोजनीय दास था। यही कारण है कि कोई कौतुक नहीं कि लोकतांत्रिक सिद्धांत के उपक्रमों को स्वतंत्रता की संकल्पना विषयक एक सशक्त बलाघात द्वारा पहचाना जाए, बल्कि उस समानता की संकल्पना द्वारा जिसके सहारे यह तदोपरांत पहचानी जाने लगी। जैसा कि इनका नाम इंगित करता है, सत्रहवीं शती के इंग्लैण्ड में लैवलर्स ने जनप्रिय स्वायत्तता एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की एक उग्र अवधारणा को गति प्रदान की। राजनीतिक अधिकारों हेतु आधार के रूप में सम्पत्ति स्वामित्व पर प्रश्न करते हुए, उन्होंने एक सार्वभौम प्राय पुरुष मताधिकार की वकालत की, यद्यपि प्राचीन एथेन्स की तर्ज पर नौकरों व अपराधियों, महिलाओं को छोड़कर, को वर्जित किया जाना था।

जॉन लॉक का *सैकण्ड ट्रीटाइज़ ऑन गवर्नमैण्ट* (1681) उच्च कोटि के स्वतंत्र विचारों का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत–ग्रंथ है। इस पुस्तक में, लॉक एक सृष्टि के नियम द्वारा नियंत्रित, प्रकृति की परिकल्पित अवस्था का वृत्तान्त प्रस्तुत करते हैं, जो आज्ञा देता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन, स्वास्थ्य, स्वातन्त्र्य अथवा स्वामित्वों में किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मनुष्यों की वह नैसर्गिक समानता जो उन्हें स्वतंत्रता का समान अधिकार देती है, नैतिक सद्गुण अथवा उत्कृष्टता के लिहाज से किसी धर्मस्थ समानता से नहीं, वरन् इस तथ्य से जन्मी है कि वे सब समान रूप से ईश्वर की संतान हैं। यद्यपि प्रकृति की यह अवस्था एक उस प्रकृति के नियम से नियंत्रित होती है जो इन अधिकारों का समर्थन करता है, इस नियम को प्रदान करने व लागू करने के लिए कोई अभिकरण नहीं है। इसी कारण, दूसरों को अपने अधिकारों में अनधिकार प्रवेश करने से रोकने अथवा इस प्रकार के

आक्रमण हेतु उचित प्रतिशोध के लिए, इन नियम को आदमी वैसे ही लागू करेगा जैसा कि वह उसे समझता है। प्रकृति की ऐसी अवस्था में, जो आमतौर पर शांति व परस्पर सहयोग द्वारा अभिलक्षित है, इस प्रकार के किसी अभिकर्त्ता का अभाव संघर्ष हेतु अनन्त सम्भावनाएँ रखता है, और यही प्रकृति की उस अवस्था की मुख्य असुविधाएँ हैं, जिनको इसीलिए एक सामाजिक समझौते के माध्यम से परे कर दिया जाता है। हर व्यक्ति की स्वीकृति में निहित यह सामाजिक समझौता ही न्यायसंगत सरकार का आधार है। मानव समाज के कानून को अब उस शाश्वत नियम के समनुरूप होना पड़ेगा जो कि प्रकृति का नियम है, तथा इस प्रकार राजनीतिक समाज का और सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति की रक्षा करना ही है (आगे लॉक यथानुसार निजी सम्पत्ति की रक्षा के साथ यह स्पष्टीकरण जोड़ देते हैं)। यदि सरकार उन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहती है जिनको लेकर वह बनाई गई थी, जनता को उसका विरोध करने व बदल डाले का अधिकार है। यही शास्त्रीय उदारवाद के सार–सिद्धांतों – व्यक्तिवाद, जनप्रिय स्वायत्तता व परिमित सरकार – का अभिकथन है, जो उदारवादी लोकतंत्र हेतु आधार प्रदान करता है।

ये सिद्धांत स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा (1776) में भी प्रचारित किए गए, जिन्होंने जीवन, स्वतंत्रता व सुख–शांति के अनुशीलन को (अन्तिम को व्यापक रूप से सम्पत्ति हेतु एक प्रियोक्ति के रूप में समझाया गया) प्राकृतिक व अहस्तांतरणीय के रूप में वर्णन करने में लॉक का अनुसरण किया। दासों व महिलाओं का उन लोगों की श्रेणी से लगातार बहिष्करण जो ऐसे अधिकारप्राप्त थे, उदारवादी सिद्धांतों के सार्वभौमीकरण और उदारवादी प्रथाओं की चयनात्मकता के बीच प्रतिवाद का एकमात्र उदाहरण है।

मनुष्य के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा (1789) ने व्यक्तियों को एक समुदाय के जन–उत्साही सदस्यों के रूप में प्रस्तुत कर नागरिकता को आदर्श बनाने में, ज़ौं जाक रूसो के मनोभाव को प्रकट किया। रूसो के लिए, बहरहाल, महज प्रतिनिधि सरकार ही पूर्ण पर्याप्त नहीं थी, और स्वतंत्र सरकार का एकमात्र रूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जिसमें नागरिक सीधे भाग लेते हैं। वस्तुतः रूसो को मालूम था कि धन–दौलत की भारी असमानताओं के साथ–साथ विशाल राजनीतिक समुदाय भी जनप्रिय स्वायत्तता हेतु बाधाएँ थे, जबकि एक छोटे नगर–राज्य के संदर्भ में स्वतंत्रता, कल्याण व सार्वजनिक शिक्षा ने लोकतंत्र हेतु आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान कीं।

तथापि, अब यह माना जाने लगा है कि उदारवाद व लोकतंत्र के बीच संबंध होना कोई आवश्यक नहीं। उदारवादी–लोकतंत्र को वैशिष्टीकरण के एक सांस्कृतिक रूप से निर्दिष्ट सिद्धांत पर आधारित, एक ऐतिहासिक रूप से निर्दिष्ट लोकतंत्र के रूप में देखा जा सकता है। यह राज्य के एक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को सरकार के एक रूप में लोकतंत्र से जोड़ता है। इस प्रकार, ऐसे समाजों के वास्ते जो व्यक्ति की बजाय समुदाय को अधिक महत्त्व देते हैं, उदारवादी–लोकतंत्र के लोकतांत्रिक भाग (जैसे कि स्वतंत्र चुनाव व भाषण की स्वतंत्रता) को उदारवादी घटक के बग़ैर स्वीकार किया जा सकता है। यह, इस प्रकार, आज संभव हो गया है कि लोकतंत्र के विभिन्न मार्गों की ही सिर्फ़ बात न करें, लोकतांत्रिक बनने, अथवा ''भिन्न रूप से लोकतांत्रिक'' बनने के विभिन्न तरीकों की भी स्पष्ट बात करें।

बीसवीं शती में लोकतंत्र का उसकी *अन्तर्भाविता* के साथ–साथ उसके *स्थान–संबंधी विकसन*, दोनों के लिहाज से एक अननुरूप विस्तार देखा गया। पुराने पश्चिमी लोकतंत्रों में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने से आरंभ करके, और दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव मिटाने तक, बीसवीं शती में

लोकतंत्र और अधिक अन्तर्भूत हो गया। इस दृश्यघटना का ''लोकतंत्रीकरण की लहरें'' नाम देकर वर्णन किया गया है। उन्नीसवीं शती के यूरोप में अनेक देशों के लोकतंत्रीकरण को लोकतंत्रीकरण की प्रथम लहर के रूप में देखा जाता है। दूसरी लहर का दिनांकन प्रथम विश्वयुद्ध उपरांत काल में किया जाता है, जब यूरोप के अनेक देश – स्कैण्डीनेविया के देशों को मिलाकर लोकतांत्रिक बन गए। लोकतंत्र की तीसरी लहर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आयी, जब नाज़ीवाद व फ़ासिस्टवाद की समाप्ति उपरांत जर्मनी व इटली जैसे देशों में नए लोकतंत्र स्थापित किए गए; और, पचास व साठ के दशकों में विउपनिवेशीकरण के पश्चात् एशिया व अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा लोकतंत्र को उत्सुकता के साथ अंगीकार कर लिया गया। लोकतंत्रीकरण की चौथी लहर में उत्तर–साम्यवादी पूर्वी यूरोप के साथ–साथ लैटिन अमेरिका के उन अनेक देशों में भी लोकतंत्र की ओर प्रत्यागमन देखा गया, जो लोकतंत्र की ओर से मुँह फेर चुके थे।

2-3 ykdr= dk lidYiukRed ifjokj % Lok;Ùkrk] vf/kdkj] lekurk vkj Lor=rk

लोकतंत्र की संकल्पना को किसी वैचारिक समूह के एक भाग अथवा संकल्पनाओं के एक परिवार के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें अधिकारों, स्वतंत्रता व समानता की संकल्पनाएँ सबसे प्रमुख हैं। इनको सुदृढ़ करना ही व्यक्तिवाद व वैयक्तिक स्वायत्तता का सिद्धांत है जो कि आरम्भिक उदारवादी परम्परा में विकसित हुआ, विशेषकर थॉमस हॉबस व जॉन लॉक के लेखों में। *स्वायत्तता* का सिद्धांत उस मूल्य को अभिव्यक्त करता है, जो हम अपने निजी विशिष्ट व्यक्तियों निर्णयों व जीवन–विकल्पों पर नियंत्रण रखने से जोड़ते हैं। व्यक्ति स्वायत्त अस्तित्व हैं, बुद्धिसंगत विचार में सक्षम, और, इसी कारण, यह निर्धारित करने में सक्षम कि उनके लिए क्या उत्तम है। तथापि, जबकि हम स्वयं के लिए कार्यशील व्यक्ति हैं, हम समूहवाचियों अथवा संघों के सदस्य भी हैं, और इनमें लिए जाने वाले निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, इन निर्णयों को लिए जाने में भाग लेने का हक रखते हैं, और इसमें आत्म–निर्णयन् कार्य वैसे ही शामिल हैं, जैसे कि अपनी जीवनयात्रा व अन्य व्यक्तिगत मामलों के बारे में हम अपने निजी जीवन में निर्णय स्वयं लेते हैं।

व्यापक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत में, स्वायत्तता, स्वतंत्रता व समानता ही लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की आधारशिला बनाते हैं। स्वतंत्रता की संकल्पना के साथ, स्वायत्तता का सिद्धांत ही जनप्रिय सरकार के महत्त्व को बताता है। जैसा कि जॉन लॉक के लेखों में हैं, सरकार को व्यक्ति के अधिकारों व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारण्टी देनी होगी, और यह सरकार का ही काम है कि व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों व राज्य द्वारा गुप्त रूप से क्षति पहुँचाए जाने से बराबर रक्षा करे। यह निश्चयपूर्वक कहता है कि सभी व्यक्ति, मनुष्य होने के नाते, इन अधिकारों से समान रूप से सम्पन्न हैं।

परन्तु राजनीतिक निर्णयों के लिए जाने में समानता कैसे लाई जाए? लोकतांत्रिक सिद्धांतवादी *प्रत्याशित समानता*, तथा *पश्चोन्मुख समानता* के बीच भेद करते हैं। प्रत्याशित समानता तब आती है जब, लिए जाने वाले किसी निर्णय में, प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम को प्रभावित करने के एक समान अवसर लेकर चलता है, और कोई भी व्यक्ति या समूह किन्हीं ऐसी विशिष्ट अयोग्यताओं से ग्रस्त नहीं रहता जो कि उन्हें उस निर्णय को लिए जाने से रोकती हों। पश्चोन्मुख

समानता साधित होती है यदि, ऐसे किसी निर्णय में जो पहले ही लिया जा चुका है, हम कह सकते हैं कि सभी ने समान रूप से उस निर्णय को तय किया। अब, यह स्पष्ट है कि अधिकांश स्थितियों में यह कहना मुश्किल होता है, जब तक कि निर्णय निर्विरोध न रहा हो। परन्तु क्योंकि निर्विरोध निर्णय अपेक्षाकृत कम ही हुआ करते हैं, बहुमत द्वारा निर्णय ही मात्र ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतंत्र की कसौटी पर खरी उतरती है। यह ऐसा करती है क्योंकि यह प्रत्याशित समानता की शर्त को पूरा करती है अर्थात्, कि हर व्यक्ति निर्णय को निश्चित करने के एक समान अवसर लेकर चलता है और पश्चोन्मुखी समानता के लिहाज से सर्वोत्तम भी है, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि अन्य सभी की अपेक्षा अधिकतर लोगों ने विजयमान विकल्प का पक्ष लिया।

यद्यपि स्वतंत्रता व समानता ही लोकतंत्र की उदारवादी परिकल्पना की आधारशिला बनाते हैं, एक न एक पर अधिक दबाव लोकतंत्र को बहुत भिन्न दिशाओं में ले जाता है। इस प्रकार, यदि हमारा प्रारंभ–बिन्दु ही स्वतंत्रता का सिद्धांत हो, तो हम व्यक्ति के अधिकारों व व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को अधिक महत्त्व देंगे, और यह बात यह तर्क देने को प्रवृत्त भी कर सकती है कि राज्य को समाज में एक सीमित व अल्प भूमिका ही निभानी चाहिए, तथा उसको हम पर उत्तम जीवन अथवा सम्पूर्ण समाज का कोई विशिष्ट दृष्टिकोण नहीं थोपना चाहिए। स्वतंत्रता–केन्द्रित दृष्टिकोणों ने सिद्धांतियों को यह तर्क प्रस्तुत करने को प्रवृत्त किया है कि राज्य के लिए यह विधिविरुद्ध और अन्यायपूर्ण होगा कि वह अभागे नागरिकों हेतु निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायताप्राप्त जनसेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अपने सम्पन्न नागरिकों पर कर लगाए।

यदि, फिर भी, समानता ही हमारी परिकल्पना का प्रारंभ–बिन्दु है, हम तर्क रखेंगे कि औपचारिक राजनीतिक समानता का उपयोग कम है, जब तक कि व्यक्ति वे क्षमताएँ वास्तव में नहीं रखते जिनके द्वारा वे अपनी जीवन–योजनाओं को निर्धारित कर सकें। अतः, यदि हम उस नियंत्रण को बढ़ाना चाहें जो कि लोग अपने जीवन पर रखते हैं, तो हमें सर्वप्रथम उन अहितों को दूर करना होगा जिनसे वे जाति या वर्ग की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं के चलते ग्रस्त हैं।

2-4 ykdr= gsrq vkSfpR; % vUrHkZr (Intrinsic) vkSj lk/kuHkZr (Instrumentalist)

लोकतंत्र को आन्तरिक अथवा सहायक मूल्य सम्पन्न के रूप में सही ठहराया जा सकता है। जब–जब हम लोकतंत्र का स्वयं में व स्वयं के लिए लाभदायक के रूप में मूल्यांकन करते हैं, हम लोकतंत्र के आन्तरिक मूल्य का दावा करते हैं। अर्थात्, हम तर्क देते हैं कि लोकतंत्र अपने स्वयं की भलाई के लिए मूल्यवान है, क्योंकि यही नागरिकों के बीच समानता की अभिव्यक्ति देने का अत्युत्तम रास्ता है। दूसरी ओर, लोकतंत्र का मूल्यांकन सहायक के रूप में, अथवा किसी अन्य परिणाम हेतु एक साधन के रूप में भी किया जा सकता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तम है, क्योंकि यह राजनैतिक नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार हमें नेतृत्व का बेहतर विकल्प प्रदान करता है। अथवा यह कहा जा सकता था कि लोकतंत्र उत्तम है, क्योंकि यह सभी को अहसास कराता है कि वे निर्णयन्–प्रक्रिया का एक हिस्सा थे। राजनीतिक सत्ता के दुष्प्रयोग को, उसे समान रूप से नागरिकों के बीच वितरित करके, कम करने के एक हल के रूप में भी लोकतंत्र को सही ठहराया जा सकता है। लोकतंत्र हेतु एक अन्य सहायक दोषमोचन है, मानव विकास में इसकी भूमिका, इस हद तक कि यह लोगों को अपने राजनीतिक जीवन हेतु दायित्व लेने के लिए प्रेरित करे।

लोकतंत्र का सहायक मूल्य को सकता है, परन्तु इसका आंतरिक मूल्य राजनीतिक समानता को कार्यान्वित करने के एक तरीके के रूप में उसकी नैतिक श्रेष्ठता से उत्पन्न होता है। यदि हम इसे व्यक्तियों के एक समूह या तो किसी राज्य के नागरिकों अथवा एक पड़ोसी संघ या खेलकूद क्लब के सदस्यों के बीच निर्णयों पर पहुँचने के एक तरीके के रूप में देखें तो लोकतंत्र निर्णयों पर पहुँचने के अन्य ऐसे किसी भी तरीके को ईज़ाद करने में सक्षम नहीं रही है जो सभी के लिए बाध्यकारी हो, और जो सभी के हितों को ध्यान में रखे। वस्तुतः यह दर्शाता है कि जन समाज ही अपने निजी हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। तथापि, यदि व्यष्टियाँ अपने सामूहिक प्रयास के सामान्य प्रयोजनों पर सहमत भी हों तो भी वे इस बारे में प्रायः निश्चित रूप से असहमत होंगी कि इसे कैसे प्राप्त करें। फिर भी यदि वे एक ही दृष्टिकोण अपनाएँ कि लोककल्याण किससे स्थापित होता है, व्यष्टियाँ निश्चित रूप से भिन्न मत रखेंगी कि उस कल्याण को वास्तव में कैसे प्राप्त करें। ऐसी परिस्थितियों में, लोकतंत्र उस जन समाज के बीच एक निष्पक्ष नैतिक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है जो उस राज्य विशेष के सीमाक्षेत्र में रहते हैं, परन्तु उत्तम जीवन की संकल्पना करने का कोई भी कार्य नहीं करते।

यह यथार्थतः इसलिए है कि यथासंभव अच्छी स्थिति में एकात्मता असंभव है और किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए सर्वाधिक व्यवहार्य कार्यविधि बहुमत शासन का सिद्धांत ही है। संभवतः यही कारण है कि विन्सटन चर्चिल ने लोकतंत्र का वर्णन ''सरकार का सबसे बुरा रूप जब तक कि बाकी सबके लिए नहीं'' के रूप में किया। यद्यपि अनेक लोग लोकतंत्र के सिद्धांत की तुलना बहुमत शासन के सिद्धांत से करते हैं, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बहुमत शासन सिर्फ़ ऐसी स्थितियों में निर्णयों पर पहुँचने हेतु सबसे अधिक व्यवहार्य व स्वीकार्य कार्यविधि है जहाँ लोग असहमत होते हैं। लोकतंत्र का नैतिक मूल्य बहुमत शासन के सिद्धांत में नहीं, वरन् समानता के उस सिद्धांत में निहित है जो उसे मज़बूती प्रदान करता है।

2-5 ykdra= % ifØ;kRed **(Procedural)** vkSj lÙkkokpd **(Substantive)**

वृहत् व जटिल समाजों में, लोगों के लिए यह हमेशा संभव नहीं होता कि हरेक मामले पर निर्णय करने के लिए एक साथ मिल बैठें, जैसा कि वे प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र में करते थे। यही कारण है कि आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से काम करता है। लोग अपने प्रतिनिधि एक विधान मंडल या सभा हेतु चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि उनकी ओर से निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत होते हैं जो उन्हें चुनते हैं। परम संप्रभुता, हालाँकि, लोगों के ही पास रहती है, जो अपने प्रतिनिधियों को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, और जब अगला चुनाव–चक्र आता है तो उन्हें पुनः चुनने से मना कर सकते हैं। प्रतिनिधि सरकार वर्तमान लोकतंत्र की धारणा का प्रायः पर्याय है।

तथापि, लोकतंत्र को मात्र संस्थाओं के एक समुच्चय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए– यथा, इनसे उद्भूत होते स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, विधान सभाएँ व संवैधानिक सरकारें। लोकतंत्र के इस दृष्टिकोण का वर्णन *कार्यविधिक* लोकतंत्र के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह लोकतंत्र की सिर्फ़ कार्यविधियों व संस्थाओं पर ही ज़ोर देता है। यह इस बात को देखने से रह जाता है कि औपचारिक राजनीतिक समानता के बावजूद, कुछ नागरिक दूसरों के मुकाबले अधिक समवर्ग हो सकते हैं, और निर्णयों के लिए जाने में दूसरों की अपेक्षा अधिक मताधिकार का उपभोग कर सकते हैं। अगर नहीं तो प्रायः ही,

अपेक्षाकृत विपन्न, कम शिक्षित, व सामाजिक रूप से अभावग्रस्त नागरिक ही होते हैं जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से व्यवहार कर पाने में असमर्थ होते हैं। सामाजिक व आर्थिक असमानताएँ एक विधिवत् भागीदारी के लिए प्रभावशाली बनना मुश्किल बना देती हैं। यही कारण है कि सिद्धांतवादी *सत्तावाचक* लोकतंत्र के महत्त्व पर ज़ोर देते हैं। यह आदर्श यथार्थ रूप में ऐसे समवर्ग नागरिकों के समाज का संकेत करता है जो राजनैतिक रूप से वचनबद्ध हों, विभिन्न मतों व जीवन–दृष्टियों के प्रति सहिष्णु हों, तथा अपने शासकों को चुनने व उन्हें उत्तरदायी ठहराने में एकमत हों। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम व निर्णय तत्पश्चात् समाज में कुछेक शक्तिशाली समूहों व व्यक्तियों के हितों की बजाय सभी के हितों के प्रति यत्नशील होंगे। इसका अर्थ यह भी है कि लोकतंत्र सरकार का ही संगठन सिद्धांत नहीं, वरन् समाज में सम्पूर्ण सामूहिक जीवन का संगठनकारी सिद्धांत भी है और होना चाहिए।

हम तर्क दे सकते हैं, तथापि, कि यह तब तक संभव नहीं जब तक कि समानता हेतु पृभठभूमि शर्तें पूरी नहीं होतीं, क्योंकि सामाजिक असमानता औपचारिक राजनीतिक असमानता को अपेक्षाकृत अर्थहीन बना देती है। यहाँ तक कि मताधिकार के निर्बन्ध प्रयोग को भी उदाहरणार्थ, जाति वरिष्ठों से, प्रबल भू–स्वामियों से, अथवा महिलाओं के मामले में, घर के पुरुष प्रमुख से, मुक्ति की आवश्यकता हो सकती है। यह आज़ादी कम की गई हो सकती है, जब लोगों को स्वतंत्र निर्णय अथवा युक्तिसंगत सूचना तक समुचित पहुँच का अधिकार नहीं होता; और सर्वोपरि, मताधिकार के अपने प्रयोग के बावजूद एक उत्तरप्रद प्रशासन पाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे समाजों में जहाँ धर्म, भाषा व नृजाति आधारित अल्पसंख्यक वर्ग हैं, बहुमत सिद्धांत अल्पसंख्यकों के अलाभ हेतु काम करने को प्रवृत्त रहता है, क्योंकि वे विधिवत् रूप से वोटों की अधिकता से हराए गए हो सकते हैं, और निर्णयन् प्रक्रिया के परिणाम को प्रभावित करने हेतु कदापि एक यथार्थ व समान अवसर नहीं पा सकते हैं।

2-6 ykdra= d idkj % ifrfuf/kd ykdra= vkj mlds lekykpd] lgHkkfxrki.k ykdra=] e=.kkRed ykdra=] lkekftd ykdra= vkj lkoHkke ykdra=

ifrfuf/kd ykdra= o mlds lekykpd

चूँकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वृहत् व जटिल समाजों में संभव नहीं है, जिस क्रियाविधि के माध्यम से लोग सरकार में परोक्ष रूप से भाग लेते हैं, वह है अपने मनोरथ के कार्यान्वयन हेतु प्रतिनिधि चुनना। आरम्भिक संविदा सिद्धांतियों, जैसे कि हॉबस एवं लॉक, के लिए प्रतिनिधि सरकार लोगों द्वारा उनकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत एक प्रकार की सरकार थी। रूसो के अनुसार, बहरहाल, राज्य पर संप्रभु सत्ता नागरिक वर्ग व उसकी ''आम इच्छा'' के हाथों में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधियों के मत व हित कभी भी निर्वाचकगण के मतों व हितों से अभिन्न नहीं हो सकते हैं।

वह जैसी हो सके हो, आज प्रतिनिधि सरकार बहुमत सिद्धांत पर आधारित को लोकतांत्रिक प्रेरणा को कार्यान्वित करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। इसके, तथापि, दो प्रकार के आलोचक हैं: वे जो इसे अयथार्थवादी मानते हैं (शुम्पीटर व संभ्रांत सिद्धांती) तथा वे जो इसे अपर्याप्त मानते हैं (भागीदार लोकतंत्रवादी, अगले पाठांश में उल्लिखित)। लोकतंत्र का शुम्पीटिरियन दृष्टिकोण लोकतंत्र के इस व्यापक अठारहवीं–शती सिद्धांत वाली उक्ति को उसके अशुद्ध वृत्तान्त रूप में प्रक्षेपित करता है,

जिसके विषय में लोकतंत्र *वस्तुतः* है। जोसेफ़ शुम्पीटर के अनुसार, लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत यह मानता है – भ्रांतिपूर्ण रूप से कि संप्रभुता उन लोगों के हाथों में होती है, जो व्यक्तियों को एक ऐसी सभा हेतु चुनते हैं जहाँ उनके मनोरथ पूरे किए जा सकते हैं। लोकतंत्र को राजनीतिक निर्णयों पर पहुँचने हेतु एक संस्थागत अवस्था के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है, जो इस तरीके से जन कल्याण को कार्य में परिणत करता है। यथार्थ में, हालाँकि, शुम्पीटर तर्क प्रस्तुत करते हैं, लोकतंत्र लोकप्रिय प्रभुसत्ता विषयक नहीं है। वास्तव में यह बात नहीं है कि लोकतंत्र का मुख्य कार्य एक सर्वसत्ताक निर्वाचकवर्ग के हाथों में राजनीतिक सत्ता सौंपना है, और इसका द्वितीयक कार्य नेताओं को चुनना है। उलटे, लोकतंत्र का मुख्य प्रयोजन प्रत्याशियों के एक प्रदत्त समूह में से नेताओं को चुनना प्रतीत होता है, जो लोगों के वोट के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं। नेतृत्व ही परिचालक–बल है, लोग तो सिर्फ़ एक अथवा दूसरे नेता को अपना समर्थन देते हैं। इसको लोकतंत्र का ''यथार्थवादी'' सिद्धांत कहा गया है।

lgHkkfxrkiw.kZ yksdrU=

सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का व्यापक सिद्धांत रूसो व जॉन स्टूअर्ट मिल के लेखों में पाया जाता है। रूसो का सिद्धांत राजनैतिक निर्णयन् में प्रत्येक वैयक्तिक नागरिक की भागीदारी पर निर्भर करता है। नागरिकों के बीच संबंध परस्पर निर्भरता का संबंध है, इस प्रकार का कि प्रत्येक व्यक्ति सर्वसत्ताक के रूप में सामूहिक रूप से देखे जाने वाले सभी दूसरों पर समान रूप से निर्भर है। भागीदारी न सिर्फ़ निर्णयन् में, बल्कि निजी हितों की रक्षा करने व अच्छी सरकार सुनिश्चित करने के साधन के रूप में भी महत्त्वपूर्ण है। मिल के अनुसार, जैसा कि रूसो के अनुसार, भागीदारी नागरिकों के लिए एक शिक्षाप्रद प्रकार्य रखती है। लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार ही मिल का आदर्श राजशासन है, जिसमें भागीदार संस्थाएँ सक्रिय नागरिकता व एक जन–उत्साही स्वरूप को प्रोत्साहित करती हैं। यही वो कार्यप्रणाली है जिसके मार्फ़त व्यक्ति से जनहित का ध्यान रखने तथा अपने निजी स्वार्थों से हटकर जन कल्याण के विचार द्वारा नियंत्रित निर्णयों को करने को काम कराया जाता है। इस प्रकार, लोकतांत्रिक संस्थाएँ खासकर – स्थानीय संस्थाएँ – ''राजनीतिक क्षमता की एक पाठशाला'' होती हैं।

बृहत् व जटिल समाजों में, प्रत्यक्ष सहभागितापूर्ण लोकतंत्र स्पष्टतः असंभव है। इसके बावजूद, समकालीन लोकतांत्रिक सिद्धांतियों – जैसे कि कैरोल पेटमैन व बैंजामिन बारबर – ने सहभागितापूर्ण अथवा ''बहुसंख्यक'' लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दिया है, जिसमें कि साधारण नागरिक निर्णयन् प्रक्रिया में उससे कहीं अधिक पूर्ण रूप से शामिल होता है जितना कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर संभव है। यह स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने का रूप ले सकता है, जिससे कि नागरिक सामुदायिक कार्यों व सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र के पक्षधर एक अधिक सक्रिय व राजनैतिक रूप से वचनबद्ध नागरिकवर्ग को तैयार करने के एक साधन के रूप में नागरिक शिक्षा प्रदान किए जाने में आमतौर पर मिल का अनुसरण करते हैं। सर्वोपरि, उनका मानना है कि राजनीतिक भागीदारी मानव जाति हेतु उत्तम जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण है; और कि यह जन–अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुष्प्रयोग किए जाने को रोकने में मदद करता है।

eU=.kkRed yksdrU=

मंत्रणात्मक लोकतंत्र सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दों पर मुक्त एवं सार्वजनिक विचार–विमर्श को महत्त्व देता है। यह लोगों को स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में देखे जाने से शुरू तो होता है, परन्तु इन स्वायत्त व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को वह असहमति अथवा अभिरुचि संबंधों के रूप में नहीं देखता।

इसकी बजाय, यह लोगों को सुविवेचित तर्क व दृढ़विश्वास के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होने व एक दूसरे को प्रभावित करने हेतु प्रयासरत होने के रूप में देखता है। मंत्रणात्मक लोकतंत्र के पक्षधरों के अनुसार, दृढ़ विश्वास ही राजनीतिक सत्ता हेतु सर्वोत्तम आधार है, क्योंकि यह अकेले ही व्यक्तियों की स्वायत्तता का सम्मान करता है और स्व–शासन हेतु उनकी क्षमता को महत्त्व देता है। यह व्यक्तियों को उनके जीवन के एक महत्त्वपूर्ण पहलू पर भी नियंत्रण प्रदान करता है, और राजनीतिक सत्ता की बृहत्तर व निरन्तर जवाबदेही की ओर चलता है। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र से भिन्न, जिसमें व्यक्तियों का निर्णयन् में लगातार लगे रहना आवश्यक है, मंत्रणात्मक लोकतंत्र नागरिकों व पेशेवर राजनीतिज्ञों के बीच श्रम के एक राजनैतिक विभाजन को स्वीकार करता है, यद्यपि नागरिक सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर मंत्रणा में शामिल होते हैं।

lkekftd ykdrU=

सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है, जो समानता के प्रति एक दृढ़ प्रतिज्ञा पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादी, इसीलिए, पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। वे प्रतिनिधि लोकतंत्र की उदारचेता संस्थाओं में विश्वास करते हैं, परन्तु इनको सामाजिक न्याय के आदर्श के साथ जोड़ने की अभिलाषा भी करते हैं। इसी सीमा तक कि उदारवाद बहुधा दक्षिण–पंथी इच्छास्वातंत्र्यवाद का रूप ले लेता है – व्यक्ति व मुक्त पण्यक्षेत्र की निर्बन्ध स्वतंत्रता में एक विश्वास – सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद की अपेक्षा अधिक समतावादी है। तथापि, यह मार्क्सवादी लोकतंत्र की अपेक्षा कम क्रांतिक है और कहा जा सकता है कि इन दोनों विचारधाराओं के चौराहे पर खड़ा है। वस्तुतः, यह कहा गया है कि सामाजिक–लोकतंत्र, लोकतंत्र से बढ़कर है और समाजवाद से कमतर!

सामाजिक लोकतंत्रवादियों का तर्क है कि सभी व्यक्तियों को समाज के संसाधनों का एक उचित हिस्सा मिलना चाहिए ताकि वे जीवन की अपनी निजी योजनाओं को कार्यरूप दे सकें। यदि इस संबंध में दरिद्रता अथवा अशक्तता अथवा एक अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना बाधाएँ हैं, तब इन बाधाओं को दूर करना राज्य का कर्त्तव्य है। सामाजिक लोकतंत्र इस प्रकार कामगारों, महिलाओं, अशक्त, वयोवृद्ध, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों इत्यादि के कल्याण हेतु परिस्थितियाँ प्रदान करने से विशेष रूप से संबद्ध है। यह मूल रूप से समानता हेतु परिस्थितियाँ पैदा करने में रुचि रखता है, ताकि सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग समान सीमा तक कर सकें। यह लोकतंत्र को मात्र सरकार के रूप में नहीं देखता है, बल्कि एक ऐसे सिद्धांत रूप में भी देखता है जिसे सम्पूर्ण समाज में सामूहिक जीवन को सूचित करना चाहिए।

lkoZHkkSe ykdrU=

सार्वभौम लोकतंत्र एक ऐसा विचार है जो राजनीतिक सिद्धांतियों द्वारा भूमण्डलीकरण के प्रसंग में विकसित किया गया है। अधिराष्ट्रीय संगठन के रूपों के अस्तित्व में आने के साथ ही – जैसे कि यूरोपियन यूनियन – और आर्थिक व सांस्कृतिक भूमण्डलीकरण के विकास के साथ ही, यह माना जाता है कि लोकतंत्र को राष्ट्र–राज्य की सीमाओं से परे इन चुनौतियों का भी जवाब देना पड़ेगा। सार्वभौम लोकतंत्र का विचार इन चुनौतियों का ही एक जवाब है। यद्यपि भूमण्डलीय शासन की ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसने राष्ट्रीय राज्य का स्थान ले लिया हो, यह सिद्धांत उस भूमण्डलीय सभ्य समाज की ओर इशारा करता है, जो कि ''नीचे से भूमण्डलीकरण'' की दृष्टघटना द्वारा रचा जा रहा है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार गढ़ी जा रही नई एकात्मकताएँ सार्वभौम नागरिकता का संकेत देती हैं।

पर्यावरण–आंदोलन व नारी–आन्दोलन इसके दो विलक्षण उदाहरण हैं। चूँकि संसार दूरसंचार व इंटरनेट क्रांति के माध्यम से बड़ी तेजी से और सघनता से जुड़ता जा रहा है, लोकतंत्र हेतु इस घटनाक्रम के निहितार्थ अनिश्चित हैं। क्या ये नवप्रवर्तन सरकारों को ज़्यादा या कम जवाबदेह बनाते हैं? क्या नागरिकों के लिए उनमें भाग लेना वास्तव में संभव है? उदाहरण के लिए, यद्यपि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधिकांश सदस्य विकासशील देश हैं, जो संसार के बहुसंख्यक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, डब्ल्यू.टी.ओ. अधिक सम्पन्न राष्ट्रों व उनके हितों के प्रति निरन्तर उत्तरकारी है। यह व भूमण्डलीय शासन की अन्य संस्थाएँ लोकतंत्रात्मक कैसे हो सकती हैं? सार्वभौम नागरिकता की उपयुक्त परिस्थितियों को कैसे अनुभव किया जा सकता है?

2-7 lkjk'k

इस इकाई में, हमने प्राचीन एथेन्स से लेकर आधुनिक विश्व तक प्रजातंत्र के ऐतिहासिक उद्भव की जाँच की। तद्पश्चात्, हम संकल्पनाओं के उस परिवार से संबंध में लोकतंत्र का अध्ययन करने को चले जिसमें कि यह निहित है, यथा स्वायत्तता, अधिकार, स्वतंत्रता व समानता। लोकतंत्र हेतु स्पष्टीकरण के लिए हमने दो मुख्य प्रकारों को परखा : अन्तर्भूत और साधन–रूप। प्रक्रियात्मक तथा सत्तावाचक लोकतंत्र के बीच भेद करते हुए, हमने विभिन्न प्रकार के लोकतंत्रों की भी जाँच की जिनमें शामिल थे प्रतिनिधि लोकतंत्र (व उसके ''यथार्थवादी'' सामाजिक समालोचक); भागीदार लोकतंत्र; मंत्रणात्मक लोकतंत्र; सामाजिक लोकतंत्र; और, भविष्य हेतु अत्यावश्यक महत्त्व का, सर्वदेशीय लोकतंत्र।

2-8 vH;kl

1. लोकतंत्र के अर्थ व प्रकृति पर चर्चा करें।
2. बीसवीं शती में लोकतंत्र के उद्भव व विकास की व्याख्या करें।
3. लोकतंत्र की विभिन्न संकल्पनाओं व प्रकारों पर चर्चा करें।
4. लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।